

भारत का राजपत्र
The Gazette of India,

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, सामवार, जुलाई 17, 1972/आषाढ़ 26, 1894

No. 335] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 1972/ASADHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1972

S.O. 489(E).—Whereas upon the application and with the concurrence of the persons proposing to apply property in trust for a charitable purpose, namely, for the establishment and maintenance of a college at Kalkaji in New Delhi to be known as 'The Deshbandhu College', on the 5th day of September, 1952, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), ordered by a notification No. RHG/11(5)/52, dated the 5th September, 1952 that the property set out in the First Schedule to the said notification would, as from the publication of the said notification, vest and be thenceforth vested in the Treasurer of Charitable Endowments to be held by him and his successors (subject to the provisions of the said Act and the rules made thereunder by the Central Government from time to time)

upon trust to hold the property and the income thereof in accordance with the trusts and terms set out in the scheme selforth in the Second Schedule to the aforesaid notification for the endowment of the said charity;

And whereas the said notification also provides that under sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government further ordered that the said scheme would come into operation from the publication of the said notification;

And whereas the Board of Administration, Deshbandhu College, Kalkaji, at a meeting held on the 24th day of May, 1972 resolved that the Central Government be requested to amend the scheme of administration of the Deshbandhu College (Delhi) Fund towards effecting the immediate transfer of the management and administration of the affairs of the said Fund to the University of Delhi and for that purpose to divest the Treasurer of the properties of the said Fund and to transfer the same to the University of Delhi and to provide subsequent to the transfer actually taking place for administration of the Deshbandhu College, Kalkaji, as a maintained college in accordance with the relevant Ordinance of the University of Delhi;

And whereas on the 19th day of June, 1972, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, has directed the Treasurer to transfer the property vested in him under the said notification of the Government of India, dated the 5th September, 1952 and all other property accrued to the Deshbandhu College (Delhi) Fund from the date of establishment of that Fund and income thereof to the University of Delhi fully described in the Schedule annexed hereto:

And whereas in pursuance of the notification of the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education), S.O. No. 1685 dated the 19th June, 1972, the Treasurer of Charitable Endowments for India has transferred the property of the Deshbandhu College (Delhi) Fund, as described in the Schedule to this notification, to the University of Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government, on the application and with the concurrence of the aforesaid Board of Administration, hereby substitutes the scheme for the administration of the Deshbandhu College (Delhi) Fund as hereinafter contained and it is hereby further ordered that the substituted scheme shall come into operation from the date of publication of this notification in the Official Gazette:—

Scheme

The assets of the Deshbandhu College (Delhi) Fund shall vest in trust in the University of Delhi.

The assets of the Deshbandhu College (Delhi) Fund shall be utilised by the University of Delhi for the furtherance of the objectives for which these assets were vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India.

The Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi shall be administered by the University of Delhi as a College maintained by the University and in accordance with the provisions of the Delhi University Act 1922 (8 of 1922), and statutes and Ordinances of that Act.

SCHEDULE

1. All that piece or parcel of land alongwith all buildings and structures standing thereon (main College building including Library and Reading Room Extension, Science Block, Servant Quarters, Canteen, Tube well, Godown, Fuel Room, Quarter for Gas-man and Latrine Block, all surrounded by a compound wall) situated at Kalkaji, New Delhi (Block 'F' Kalkaji) containing by admeasurement 17.47 acres of land more or less and bounded—

On North by 75' wide road from West to East for 545'-6" of the boundary line, 39' approach head from North to South covering 180' then turning along the boundary line towards East covering the remainder 328'.

On East by Government and at present vacant:

On South by 80' wide road:

On West by 44' wide road with a block of houses (known as 'F' Block) and open land across the road.

Deshbandhu College (Day Classes)

- | | |
|--|---------------------------------|
| (2) Science equipment in the Departments of Physics,
Botany, Chemistry and Zoology: | } As per
stock
Registers. |
| (3) Library books and equipment: | |
| (4) Office and Class-room furniture and equipment: | |
| (5) Sports and N.C.C. equipment. | |
| (6) Garden equipment: | |
| (7) Examination equipment. | |

Deshbandhu College (Evening Classes)

- | | |
|---|---------------------------------|
| (8) Library books and equipment: | } As per
stock
registers. |
| (9) Sports goods and equipment: | |
| (10) Office furniture etc | |
| (11) Other assets acquired out of the Boys' Fund. | |

[No. F.14-1/72-U.1.]

S. M. S. CHARI, Jt. Educational Adviser.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय**(शिक्षा विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 जूलाई, 1972

का० प्रा० 489 (अ).—जबकि आवेदनपत्र देने पर और उन व्यक्तियों की सहमति पर जो धर्मार्थ प्रयोजन के लिए न्याय में सम्पत्ति के लिए आवेदन का प्रस्ताव करते हैं अर्थात् कालकाजी, नई दिल्ली के कालेज की स्थापना और रखरखाव के लिए जो 5 मितम्बर, 1952 से "देशबन्धु कालेज" के नाम से जाना जाएगा, केन्द्रीय सरकार पूर्ण अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं० आर० एच० जी०/11 (5)/52, दिनांक, 5 सितम्बर, 1952 द्वारा दिये गये इस आदेश पर कि उक्त सूचना की पहली अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति, उक्त अधिनियम के प्रकाशन से और उसके बाद पूर्ण अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष, और उसके उत्तराधिकारियों के पास (उक्त अधिनियम के उपबन्धों और समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के आधीन न्याय पर निहित होगी तथा उक्त पूर्ण की अक्षयनिधि के लिए उपरोक्त अधिसूचना की दूसरी अनुसूची में बताई गई योजना में निर्धारित विश्वासों और शर्तों के अनुसार विश्वास पर सम्पत्ति और उसकी आय की देखभाल करेगा;

और जबकि उक्त अधिसूचना में यह भी व्यवस्था है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार ने यह भी आदेश दिया कि उक्त योजना उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन से लागू होगी।

और जबकि दिनांक 24 मई, 1972 को हुई बैठक में देशबन्धु कालेज, कालकाजी के प्रशासन मंडल ने यह संकल्प किया कि देशबन्धु कालेज (दिल्ली) निधि के प्रशासन की योजना में, उपरोक्त निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के कार्यकलापों को शीघ्र दिल्ली विश्वविद्यालय में हस्तान्तरित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से संशोधन करने के हेतु अनुरोध किया जाये और इस प्रयोजन के लिए उक्त निधि की सम्पत्तियों के अधिकार से कोषाध्यक्ष को बर्चित किया जाये तथा उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया जाये और दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार देश

बन्धु कालेज, कालकाजी के प्रशासन को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित करने के लिये उत्तुष्टता अवस्था भी की जाए ।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19 जून 1972 को केन्द्रीय सरकार ने कोषाध्यक्ष को निदेश दिया है कि भारत सरकार की उल्लिखित अधिसूचना, दिनांक 5/9/1952 के अर्न्तगत उनमें निहित सम्पत्ति तथा उस निधि की स्थापना की तारीख से देशबन्धु कालेज (दिल्ली) निधि में उपाजित सभी अन्य सम्पत्ति और उससे हुई आय को जिसका पूरा विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, दिल्ली विश्व-विद्यालय को हस्तान्तरित कर दी जाए ।

और जबकि भारत सरकार शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की अधिसूचना एम० ओ० 1685 दिनांक 19/6/72 के अनुसरण में, एम० ओ० भारत के अक्षयपूर्ति निधि के कोषाध्यक्ष ने, इस अधिसूचना को अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार देशबन्धु कालेज (निधि) की सम्पत्ति को दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया है ।

अब इसलिए पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम 1890 (1890 का 6) की धारा 5 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुई केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त प्रशासन मंडल के आवेदन पर और इसकी सहमति से देशबन्धु कालेज (दिल्ली) निधि के प्रशासन के लिए निम्नलिखित योजना प्रतिस्थापित करती है और यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रतिस्थापित योजना इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी :—

योजना

देशबन्धु कालेज (दिल्ली) निधि की परिसम्पत्तियां दिल्ली विश्वविद्यालय के न्यास में निहित होंगी ।

देशबन्धु कालेज (दिल्ली) निधि की परिसम्पत्तियां दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के हेतु उपयोग में लाई जाएंगी जिनके लिए यह परिणति भारत के पूर्त अक्षय निधि के कोषाध्यक्ष में निहित की गई थी ।

देशबन्धु कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली का प्रबन्ध दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले एक कालेज की तरह, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 (1922 का 8) एवं उसी अधिनियम की संविधियों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाएगा ।

अनुसूची

1. वह सभी भूखंड तथा इमारतों और निर्माण जो सहित उस भूखंड पर खड़ी हुई है (कालेज की मुख्य इमारत जिस में पुस्तकालय और वाचनालय विस्तार, विज्ञान खंड, सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स, जलपान गृह नलकूप गोदाम द्वंद्वन कक्ष, गैस-मैन का क्वार्टर तथा शौचालय खंड, तथा प्रांगण, जो सभी चार दिवारी से घिरे हुए हैं) 17.47 एकड़ के एक भूखंड, जो इससे कुछ अधिक अथवा कम हो सकता है और जो निम्न प्रकार टोले तथा सीमाबद्ध सहित (ब्लॉक एफ कालका जी) कालाकाजी नई दिल्ली में विद्यमान हैं :

उत्तर में 75' चौड़ी सड़क, पश्चिम से पूर्व तक 545-6' की सीमा, 180' की उत्तर से दक्षिण की ओर सम्पर्क मार्ग फिर पूर्व की ओर बाकी 328' को शामिल करते हुए सीमा के साथ साथ वह मार्ग मुड़ जाता है ;

पूर्व में सरकारी भूमि है, जो इस समय खाली है

दक्षिण में 80' चौड़ी सड़क.

पश्चिम में (एफ ब्लॉक) के मकानों के एक ब्लॉक सहित 44 चौड़ी सड़क तथा सड़क के पार खुले भूखंड सहित

देशबन्धु कालेज (दिवस कक्षायें)

(2) भौतिकी, वनस्पतिशास्त्र, रसायन शास्त्र तथा प्राणिविज्ञान, विभागों में विज्ञान उपस्कर	}	स्टाक रजिस्ट्रों के अनुसार
(3) पुस्तकालय की पुस्तकें तथा उपस्कर		
(4) कार्यालय तथा शिक्षाओं का फर्नीचर		
(5) खेल तथा एन० सी० सी० उपस्कर		
(6) बगीचा उपस्कर		
(7) परीक्षा उपस्कर		

देश बन्धु कालेज (माध्यमिकी कक्षायें)

(8) पुस्तकालय की पुस्तकें और उपस्कर	}	स्टाक रजिस्ट्रों के अनुसार
(9) खेलों का सामान तथा उपस्कर		
(10) कार्यालय फर्नीचर (आदि)		
(11) बायेज निधि से अभिप्रेरित अन्य परिसम्पत्तियां		

[सं० फा० 14-1/72-पु-1]

एस० एस० एस० चारी,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार।

